



UPLK010173932019

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट लखनऊ।
विशेष परीक्षण सं0 330/2019**

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

विक्रान्त त्रिपाठी, पुत्र स्व0 राम अवध शास्त्री निवासी 310/ए सरस्वती पुरम,
जानकीपुरम एक्सटेंशन, जिला लखनऊ। पूर्व पता 4/988 विकास नगर, थाना
विकासनगर, जिला लखनऊ।अभियुक्त

मु0अ0सं0: 565/2018

धारा: 406,420,467,468,471,504,506 भा0दं0सं0 एवं

धारा: 3(1)घ एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट

थाना: गुडम्बा, लखनऊ।

12.01.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी।

अभियुक्त गैर हाजिर है।

कार्यालय वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, जिला लखनऊ की ओर से इस आशय की सूचना दी गयी है कि विचाराधीन बंदी विक्रान्त त्रिपाठी पुत्र स्व0 राम अवध शास्त्री निवासी 310/ए सरस्वती पुरम, थाना जानकीपुरम, जिला लखनऊ उक्त वाद में दिनांक 25.06.2019 से इस कारागार में निरुद्ध था। बंदी को कैसर के उपचार हेतु दिनांक 21.11.2023 को के0जी0एम0यू0 में भर्ती कराया गया था, जहां दिनांक 26.12.2023 को समय 01.30 बजे प्रातः मृत्यु हो गयी।

अतः जिला कारागार, जिला लखनऊ की उपरोक्त आख्या के आलोक में अभियुक्त विक्रान्त त्रिपाठी के विरुद्ध पत्रावली की कार्यवाही उपशमित की जाती है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सुजीत वर्मा अकेला अभियुक्त है, ऐसी स्थिति में पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दि0- 12.01.2024

(दिनेश कुमार मिश्र),
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

आई0डी0 नं0-यूपी6085